भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 619

जिसका उत्तर 28.11.2024 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

619. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों को सड़क से कम करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की जीवाश्म ईंधन चालित वाहनों के स्थान पर विद्युत चालित वाहन लाने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो आज की तिथि के अनुसार, सड़कों पर कितने इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन, चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक माल सड़क परिवहन यान और यात्री इलेक्ट्रिक वाहन चलते हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) 1. गैर-जीवाश्म ईंधनों पर चलने वाले मोटर वाहनों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने गैसोलीन, फ्लेक्स-फ्यूल, बायोडीजल, बायो-सीएनजी, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), गैसोलीन के साथ मेथनॉल के मिश्रण, हाइड्रोजन आदि के संबंध में बड़े पैमाने पर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित किया है।

2. देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उठाए जा रहे कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) दिनांक 18 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5333(अ) के तहत बैटरी चालित परिवहन वाहनों और इथेनॉल तथा मेथनॉल ईंधन से चलने वाले परिवहन वाहनों को भी परमिट की आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

(ii) दिनांक 2 अगस्त, 2021 के सा.का.नि. 525(अ) के तहत बैटरी चालित वाहनों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या नवीनीकरण करने तथा नया पंजीकरण चिह्न प्रदान करने के उद्देश्य से शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है।

(iii) दिनांक 7 अगस्त, 2018 के सा.का.नि. 749 (अ) के तहत परिवहन वाहनों के लिए बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण चिह्न को हरे रंग की पृष्ठभूमि पर पीले रंग में और अन्य सभी मामलों के लिए हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग में अधिसूचित किया गया है।

(iv) दिनांक 18 अप्रैल, 2023 के सा.का.नि. 302(अ) के माध्यम से एक अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत बिना किसी परमिट शुल्क के भुगतान के बैटरी चालित वाहनों के लिए अखिल भारतीय पर्यटक परमिट जारी किया जाएगा।

(v) वाहनों में हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो-फिटमेंट के लिए सा.का.नि. 167(अ) दिनांक 1 मार्च 2019 को अधिसूचित किया है और उनके अनुपालन मानक एआईएस 123 के अनुसार होंगे।

(vi) इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने और साझा गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन परिचालन में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 17 जुलाई, 2019 को एक परामर्शी जारी की गई है।

(vii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी रहित इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और पंजीकरण के संबंध में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 12 अगस्त, 2020 को एक परामर्शी जारी की है।

3. भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) में सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं: -

(i) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना: भारत में इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों (एक्सईवी) को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए 2015 में फेम इंडिया योजना शुरू की गई थी। योजना का पहला चरण 895 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ 31 मार्च, 2019 तक उपलब्ध था। इसके अलावा, फेम इंडिया योजना का दूसरा चरण 1 अप्रैल, 2019 से 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया था, जिसके लिए कुल 11,500 करोड़ रुपये का बजटीय समर्थन दिया गया था।

(ii) ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना: सरकार ने 15 सितंबर 2021 को 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी। यह योजना इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 18% तक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

(iii) उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम': सरकार ने 12 मई, 2021 को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी है।

(iv) भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना(एसएमईसी): वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए 15.03.2024 को एसएमईसी शुरू की गई है। यह योजना वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने और भारत को ई-वाहनों के विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने में मदद करती है। यह योजना भारत को इलेक्ट्रिक वाहन के विनिर्माण के लिए वैश्विक मानचित्र पर लाने, रोजगार पैदा करने और "मेक इन इंडिया" के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी मदद करती है।

(v) पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना: भारत सरकार ने देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 29.09.2024 को 'पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना' नामक योजना अधिसूचित की है। इस योजना का परिव्यय 01.04.2024 से 31.03.2026 तक दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये है। 01.04.2024 से 30.09.2024 तक 06 महीने की अवधि के लिए कार्यान्वित इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम (ईएमपीएस) 2024 को इस योजना में शामिल किया गया है।

(vi) पीएम-ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र (पीएसएम) योजना: भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) ने 28.10.2024 को भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रायोजित योजनाओं के तहत 3,435.33 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ इलेक्ट्रिक बसों (ई-बस) की खरीद और संचालन के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र निधि स्थापित करने हेतु पीएम-ई बस सेवा (पीएसएम) योजना को अधिसूचित किया है।

(ग) आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) के वाहन केंद्रीकृत डेटाबेस में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक दो पहिया, चार पहिया, माल परिवहन वाहन और यात्री वाहनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है: -

25-11-2024 तक भारत में श्रेणीवार पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन		
क्र.सं.	वाहन श्रेणी	कुल
1.	दो पहिया	28,21,756
2.	तीन पहिया	21,76,875
3.	चार पहिया	2,56,520
4.	माल वाहन	11,765
5.	सार्वजनिक सेवा वाहन	10,236
कुल		52,77,152

*****